भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2127
दिनांक 15 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वयोवृद्धजनों के लिए सुदृढ़ स्वास्थ्य परिचर्या

2127. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि संकट और आपदा के समय वयोवृद्धजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़ स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली विकसित करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 बुजुर्ग आबादी की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता का समर्थन करते हुए सभी वृद्धावस्था रोगों के लिए उपचारात्मक और पुनर्वासकारी परिचर्या की बढ़ती जरूरतों को स्वीकार करती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्ध लोगों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए 'राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम' (एनपीएचसीई) शुरू किया है। प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों (>60 वर्ष की आयु) को समर्पित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए 18 क्षेत्रीय वृद्धावस्था केन्द्रों (आरजीसी)/राष्ट्रीय वृद्धावस्था केन्द्र (एनसीए) को सहायता अनुदान प्रदान किया गया है।

*****